Schedule XLII-High Court (J) 19 [Old

<u>अनुमन्डल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार</u>

समक्ष -सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.14/2016/सी.आई.एस.क्र.-14/2016

विद्यानंद यादव बनाम विपिन शाह एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
18/10/24	वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी हैं। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 6 सितंबर 2024 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि इस वाद में वादी की गवाही चल रही थी परंतु आवश्यक कार्य वश वादी के बाहर चले जाने के कारण वादी नियत तिथि को साक्षी प्रस्तुत नहीं कर सका जिस कारण से वादी के साक्ष्य के अवसर को समाप्त कर दिया गया है। अतः विनम्र निवेदन है कि उक्त आदेश को वापस लेकर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का अवसर देने की कृपा की जाए। प्रतिवादी द्वारा प्रति उत्तर ना प्रस्तुत कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है जिस कारण से वादी को और अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है अतः वादी का उक्त आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणीय ना होने से खारिज किए जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद वादी के साक्ष्य हेतु चल रहा था परंतु वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण दिनांक को वादी के साक्ष्य के अवसर को समाप्त कर दिया गया है वादी इस वाद में साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं अतः वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वादी के उक्त आवेदन को न्यायहित में इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि वादी प्रत्येक तिथि को साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तथा लगातार दो तिथियां पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनके साथ के अवसर को समाप्त कर दिया जाएगा। वाद दिनांक 12/11/24 साक्ष्य हेतु नियत | लेखापित- असैनिक न्यायाधीश(व.को.) बनमनखी, पूर्णिया	